16.01.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेषी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थी अधिवक्ता का मुल वादपत्र प्रार्थी द्वारा विड्रा कर लिया गया है। इसलिए मूल वाद पत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थना—पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र मे जारी स्थगन आदेष दिनांक 12.06.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.01 12:25:07 IST
Reason: SelfAttested